न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 213/2020
3. उनवान : सरकार जरिये अशोक टांक प्रवर्तन अधिकारी

बनाम

1. श्री जुगलकिशोर गोयल पुत्र श्री सुरेश चन्द गोयल निवासी–11, बाबा रामदेव मार्ग, दुर्गापुरा जयपुर।
2. श्री सम्पत सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह, निवासी लोदेडा वनस्थली विद्यापीठ के आगे निवाई जिला टोंक हाल निवासी जी 18 रेल्वे क्वाटर सांगानेर।
3. श्री सुरेश कुमार वर्मा पुत्र श्री मोहन लाल वर्मा निवासी–9, दुर्गामाता का मन्दिर, दुर्गापुरा जयपुर।
4. श्री धनराज कलाल पुत्र श्री प्रहलाद निवासी रायपुरा तह. श्योपुर मध्यप्रदेश हाल निवासी 17, ब्राह्मण की थडी न्यू सांगानेर रोड जयपुर।
5. श्री पुरुषोत्तम पुत्र श्री जगदीश प्रसाद मालिक मारुति वैन आरजे 14–टी–6025, प्लाट नं. 54, शिव कालोनी टोंक फाटक, जयपुर।

4. निर्णय दिनांक : 20-06-2022
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
   ब) श्री कैलाश दत्त शर्मा अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी जयपुर श्री अशोक टांक द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, सुपुर्दगीनामा, फर्द सेम्पल, बयान पूछताछ आदि पेश कर प्रार्थना पत्र में कथन किया कि अप्रार्थीगण पर दिनांक 05.07.2006 को जब्ती की कार्यवाही कर अवैध 800.5 लीटर नीला केरोसीन, केरोसीन मिश्रित तारपीन 245.950 लीटर, 50 ली. सफेद केरोसीन, सोडियम बी सल्फेट पाउडर 5 किग्रा. व मारुति वेन आरजे–14टी–6025 को जब्त किया गया। मौके पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई साक्ष्य सबूत उक्त माल के संधारण के संबंध में पेश नहीं किये गये। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत जब्त माल को राजसात करने का प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दर्ज करवाया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज होने पर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। जिस पर उनकी ओर से दिनांक 11.08.20006 को अधिवक्ता श्री कैलाश दत्त शर्मा ने वकालतनामा पेश किया और दिनांक 11.08.2006 को अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर वाहन मारुति वैन को सुपुर्दगीनामा, जमानतनामा पर रिलीज किये जाने का निवेदन किया, जिस पर न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर के मोचन आदेश 8285 दिनांक 29.08.2006 की पालना में वाहन मारुति वेन आरजे–14–टी–6025 श्री जुगलकिशोर गोयल(अप्रार्थी संख्या 1) को रुपये 25000/– के सुपुर्दगीनामे पर सुपुर्द किया गया। शेष

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

अप्रार्थीगण अनुपस्थित है। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। लम्बे समय तक पत्रावली बहस हेतु नियत रहने के दौरान बार–बार आवाज लगवाई गयी, न्याय हित में अन्तिम अवसर भी दिया गया इस पर भी अप्रार्थी/अभिभाषक अनुपस्थित रहे। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 23.05.2022 को आदेश हेतु रखी गई। हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अप्रार्थी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन तथा बहस का मनन करने पर इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी द्वारा दिनांक 05.07.2006 को अप्रार्थीगण के परिसर पर जांच कार्यवाही कर अवैध 800.5 लीटर नीला केरोसीन, केरोसीन मिश्रित तारपीन 245.950 लीटर, 50 ली. सफेद केरोसीन, सोडियम बी सल्फेट पाउडर 5 किग्रा. व मारुति वेन आरजे–14टी–6025 जब्त किये गये तथा मौके पर से अप्रार्थी संख्या 1 जांच दल को देखकर मारुति वेन लेकर भाग गया। उसका पीछा करने पर गाडी छोडकर भाग गया जिसे जब्त कर लिया गया। मौके पर उपस्थित अप्रार्थी संख्या 2,3 व 4 ने बताया कि यहां नीला केरोसीन मारुति वेन से लाकर इसमें सफेद पाउडर डालकर तारपीन बनाया जाता है तथा बिक्री की जाती है। फैक्ट्री में उपस्थित कर्मचारियों ने मौके पर केरोसीन खरीद व तारपीन बिक्री के बारे में कोई भी कागजात नहीं दिये। अप्रार्थी श्री जुगलकिशोर गोयल के द्वारा जब्ती कार्यवाही के दौरान व बाद में ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य पेश नहीं किया, जिससे यह प्रमाणित होता हो कि उनके द्वारा संचालित कार्यवाही, संधारित वस्तुएं वैध है अपितु प्रार्थी द्वारा की गई कार्यवाही को बिना किसी ठोस व प्रमाणित आधार के अवैध बताया है। इससे यह पुष्ट होता है कि अप्रार्थी श्री गोयल द्वारा नीला केरोसीन का क्रय कर अवैध रुप से तारपीन बनाने हेतु भण्डारण कर केरोसीन (उपयोग पर निर्बन्धन और अधिकतम कीमत नियंत्रण) आदेश 1993 के खण्ड 3 व राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 का उल्लंघन है। ऐसी स्थिति में हम प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करना उचित पाते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के मद्देनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम स्वीकार किया जाकर जब्तशुदा सामान जिसमें 800.5 लीटर नीला केरोसीन, केरोसीन मिश्रित तारपीन 245.950 लीटर, 50 ली. सफेद केरोसीन, सोडियम बी सल्फेट पाउडर 5 किग्रा. व मारुति वेन आरजे–14टी–6025 शामिल है, को राजसात किया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी जयपुर को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(अशोक [illegible]
अति. जिला [illegible]
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।